Dr. Neelam Kumari
Associate Professor
R.P.M. College Patna City-8
Subject:- Sociology
Class:- B.A. Part-I (Hons), Paper- II

भारतीय समाज में नारी की बदलती प्रस्थिति
(Changing Status of women in Indian Society)

इतिहास इस बात का साक्षी है कि प्राचीनकाल में स्त्रियों को महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त थे। हमारे देश में गार्गी,मैत्रेयी तथा अत्री आदि ऐसी अनेक नारियाँ हुई हैं जिनकों सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। परन्तु मध्यकाल में नारी कीस्थिति अत्यन्त शोचनीय थी। वह घर की चारदीवारी में कैद थी। परिवार का सम्पूर्ण ढाँचा पुरूष के वर्चस्व और नारी कीनिर्भरता पर आधारित था। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1950 में स्त्रियों को पुरूषों के समान अधिकार दिए गए। लेकिनअन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक, 'इंटरनेशनल इयर ऑफ गर्ल चाइल्ड' के बाद वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण वर्षके रूप में मनाया गया जोकि इस बात का घोतक है कि आजादी के 68 वर्ष बीत जाने के बाद भी संविधान द्वारा दिएगए 'समानता के अधिकार' से महिलाएँ वंचित हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न कीघटनाओं की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ रही है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप हैं, जैसे–कन्या भ्रूणहत्या, शिशु कन्या हत्या, परिवार में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थय की उपेक्षा, अल्पायु में विवाह, बलात्कार, वेश्यावृत्तिआदि।आधुनिक महिला यद्यपि जीवन के प्रत्यक्ष क्षेत्र में पुरूषों की प्रतियोगिता है फिर भी, वह पहले से कहीं ज्यादाअसुरक्षित है। **संयुक्त राष्ट्र कर एक रिपोर्ट के अनुसार भारतकी 24.5 करोड़ महिलाएँ निरक्षर हैं। 90 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार नहीं हैं। रिपोर्ट में आधुनिक समय में भी नवजात बच्चियों की हत्या तथा भ्रूण हत्या पर भी प्रकाश डाला गया है।** नारी को राजनीतिक क्षत्रों में भी उतने अधिकार नहीं मिलते हैं, जितने कि पुरूषों को और न ही राजनीतिक दल पुरूषों की तुलना में महिलाओं को अधिक वरीयता देते हैं। पुरूष वर्ग नारी को अपनी दासी के समान समझता है। समाज में आज भी नारी की सामाजिक स्थिति अच्छी नहीं है और पुरूष वर्ग इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है। भरतीय समाज में जितनी परम्पराएँ, रीति–रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान पाए जाते हैं, वे सब पुरूषों द्वारा निर्मित हैं, इसके पीछे नारी का शोषण छिपा रहता है, नरन्तु इनको धार्मिक लिवास पहनकर नारी को मानने के लिए विवश किया जाता है।

विभिन्न कालों में महिलाओं की बदलती प्रस्थिति
(Changing Status of Women in Different Periods)

भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति समय के साथ–साथ उतार–चढ़ावों में परिपूर्ण रही है। हमारी प्राचीन व्यवस्था में नारियों को उच्च प्रस्थिति प्राप्त थी। उन्हें सुख, वैभव, शान्ति, शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना जाता था। कहीं नारी की पूजा रणचंडी दुर्गा के रूप में हुई है तो कहीं माँ सरस्वती के रूप में। नारी सुन्दरता की प्रतीक होने के नाते तारीफ का पात्र रही है। 'जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं।'

परन्तु धीरे–धीरे नारियों के स्थान में परिवर्तन होता गया। पुरूषों ने नारियों को दुर्बल समझकर उनके अधिकार व कार्य सीमा पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक समय ऐसा भी आया जबकि नारियों की सीमा घर की चारदीवारी तक सीमित होकर रह गई। परिवार में कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारे देश की नारियाँ आज हर क्षेत्र में पुरूषों की बराबरी करने का प्रयास कर रही हैं। भारतीय समाज में नारियों की प्रस्थिति या स्थान का संक्षिप्त अध्ययन निम्नलिखित क्रम में किया जा सकता है–

(1) वैदिक काल–हिन्दू समाज में वैदिक काल में नारियों की प्रस्थिति अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी। उन्हें समाज तथा परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा, विवाह, धर्म आदि क्षेत्रों में पुरूषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पत्नी परिवार में महत्वपूर्ण स्थान रखती थी। इसीलिए उसे अर्द्धागिनी का दर्जा प्राप्त था। दोनों पति एवं पत्नी साथ–साथ यज्ञ करते थे। बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था। 'शतपथ ब्राह्राण' आदि ग्रंथों में भी नारी को अर्द्धागिनी तथा पुरूष का अर्द्ध–शरीर माना गया है। पुरूष नारी के बिना पुरूषार्थ (धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष) की प्राप्ति नहीं कर सकता।

(2) उत्तर वैदिक काल (600 ई.पू.–300 ई.पू.)– इस काल में नारियों की प्रस्थिति में कुछ हास हुआ। नारियों को वेदपाठ की मनाही की गई तथा उनके यज्ञ करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। पति के परमेश्वर होने की भावना का बीजारोपण हुआ, विधवा पुनर्विवाह का पूर्ण निषेध हुआ और बाल–विवाह का आरम्भ हुआ। धीरे–धीरे नारियों पर अनेक निषेध लगा दिए गए। इनसे उनकी प्रस्थिति काफी निम्न हो गई। लड़की पैदा होना परिवार के लिए अभिशाप माना जाने लगा। परन्तु इस सबके बावजूद नारी की प्रस्थिति अधिक शोचनीय नहीं थी।

(3) धर्मशास्त्र युग– इस युग (तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक) को 'स्मृति युग' भी कहा जाता है। इस काल में नारियों की प्रस्थिति में गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पत्नी का पति की सेवा करना ही धर्म बताया गया। वे पति का चयन नहीं कर सकती थीं। ऐसा माना गया कि नारियों कों वाल्यपन पिता के संरक्षण में, युवावस्था पति के तथा वृद्धावस्था अपने बेटे के संरक्षण में वितानी चाहिए। उनकी शिक्षा पर प्रतिबंन्ध–सा लग गया। बाल–विवाह का जोर, विवाह में कन्या की रूचि का अन्त, पुरूष का नारी पर पूर्ण नियन्त्रण, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, सती प्रथा

आदि से नारी की ह्रासोन्मुख प्रस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है। नारियों को स्वभाव से कामुक, नासमझ व चरित्रहीन बताया गया, अतः उन्हें विश्वास के अयोग्य समझा जाने लगा।

(4) मध्यकालीन युग– मध्यकाल में नारियों की प्रस्थिति में और अधिक गिरावट आ गई। इस काल में नारी की शिक्षा का प्रायः लोप हो गया। कन्या की उम्र 8–9 वर्ष की होते ही विवाह किए जाने लगे। विधवा पुनर्विवाह प्रतिबन्धित हो गया। पर्दा प्रथा शुरू हो गई। सती प्रथा ने और अधिक जोर पकड़ लिया। इस युग में मुख्य रूप से नारियों की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, अन्तर्विवाह, बाल विवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली को ऐसे कारण माना गया है जिनसे नारियों की प्रस्थिति में अत्यधिक गिरावट आ गई।

(5) आधुनिक युग– आधुनिक यंग (मध्य 19वीं शताब्दी से आगे) में भारतीय समाज में नारियों का अध्ययन निम्न दो बिन्दुओं के अन्तर्गत किया जा सकता है–(अ) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व नारियों की प्रस्थिति, तथा (ब) स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों की प्रस्थिति। स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व नारियाँ अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनीतिक निर्योग्यताओं का शिकार रहीं। इस काल में नारियों की निम्न प्रस्थिति बनाए रखने में अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, बाल विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथाएँ (कुलीन विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा पुनर्विवाह निषेध, दहेज आदि) तथा मुसलमानों के आक्रमण आदि कारकों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासनकाल में नारी की स्थिति में सुधार होना प्रारम्भ हुआ। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारियों की प्रस्थिति में और भी अधिक सुधार हुआ है।सरकार, गैर–सरकारी संगठनों (महिला संगठनों सहित) तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय नारी की प्रस्थिति मध्यकाल की नारी सें कहीं ऊंची है। राजा राम **मोहन राय, ईश्वरचन्द्रविद्यासागर, एनी बेसेन्ट** तथा**महात्मा गाँधी** ने नारी उत्थान के लिए काफी कार्य किए। आज भारतीय नारी को अपना जीवनसाथी चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है। अर्थिक क्षेत्र में वे पुरूषों के साथ कन्धे–से–कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं। उन्हे तलाक का अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक सम्पत्ति में उन्हे उत्तराधिकार प्राप्त है। राजनीतिक क्षेत्र में भी नारियाँ पुरषों से पीछे नहीं है।

स्थानीय स्तर पर (पंचायतों में) उन्हें आरक्षण की सुविधाएँ भी प्राप्त हो गई हैं। राज्य विधानसभाओं एवं लोकसभा में भी इनके आरक्षण हेतु सभी राजनीतिक दल प्रयासरत हैं। आज भारतीय पूर्णतः पुरूष पर ही आश्रित नहीं है, वह पुरूष की जीवनसाथी बनती जा रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् शिक्षा के प्रसार, औद्योगीकरण व नगरीकरण, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि, नारियों में सामाजिक चेतना, अन्तर्जातीय व प्रेस विवाहों के प्रवलन, राजनीतिक चेतना तथा वैधानिक सुवधिाओं जैसे कारकों ने नारियों की प्रस्थिति को पुरूषों के बराबर लाने में सहायता दी है। राजनिति में प्रवेश के कारण नारियों शक्ति–सम्पन्न पदों पर भी पहुँचने में सफल रही हैं।

महिलाओं की निम्न प्रस्थिति के कारण

(Causes of Lower Status of Women)

वैदिक का के बाद हिन्दू समाज में स्त्रीयों की स्थिति सामान्यतः गिरती ही चली गई जिसका बहुत–कुछ चरम रूप मुगल–काल में तथा अंग्रेजी शासन–काल की प्रारम्भिक अवस्था में हमें देखने को मिलता है। स्त्रियों के पतन के कुछ प्रमुख कारण इस प्रकार रहे हैं–

(1) ब्राह्मणवाद (Brahmanism)– कुछ विद्वानों के अनुसार हिन्दू धर्म या ब्राह्मणवाद स्त्रियों की स्थिति के पतन का मुख्य कारण था क्योंकि उपनिषद् काल के ब्राह्मणों ने जो सामाजिक व धार्मिक नियम बनाए, उनमें स्त्रियों की स्थिति को पुरूष की अपेक्षा गौण माना गया और धीरे–धीरे उनके अधिकारों को छीन लिया गया था। एक ओर बाल–विवाह को प्रोत्साहित किया और दूसरी ओर विधवा–विवाह पर कठोर प्रतिबन्ध लगाया। साथ ही पर्दा प्रथा को लागू किया गया और सतीत्व के आदर्श को ऊँचा किया गया।

(2) स्त्रियों की अर्थिक पराधिनता (Economic Dependency of Women)– प्राचीन काल से ही पत्नी भरण–पोषण के लिए पति पर निर्भर रही है। इसका मुख्स कारण यह है कि सदैव ही स्त्रियों का घर से बाहर जाकर नौकरी करना पारिवारिक सम्मान के विरूध समझा जाता था। अतः आर्थिक मामलों में स्त्रियों का अपने पति पर ही निर्भर रहना पड़ता था। इसी आर्थिक निर्भरता के कारण ही स्त्रियों की प्रस्थिति अति निम्न थी।

(3) परिवार का पितृसत्तात्मक स्वरूप (Patriarchal Form of Family)– प्रारम्भ से ही हिन्दू परिवारों का पितृसत्तात्मक स्वरूप रहा है। पितृसत्तात्मक परिवार में बच्चों का वंशपरिचय पिता के परिवार पर निर्भर होता है और विवाह के बाद पत्नी को पति के घर में जाकर रहना होता है। साथ ही, पारिवारिक मामलों में तथा सत्पत्ति के विषय में सम्पूर्ण अधिकार पिता का ही होता है। अतः ऐसे परिवारों में पुरूषों की तुलना में स्त्रियों की प्रस्थिति निम्न होती है।

(4) कन्यादान का आदर्श (Ideal of Kanyadan)– प्रारम्भ से ही हिन्दू विवाह में कन्यादान के आदर्श को स्वीकार किया गया है। पिता को अपनी इच्छा से चुने हुए वर को अपनी कन्या को दान करना होता था। पिता या अभिभावक द्वारा दिया गया दान ही इस बात का घोतक है कि पत्नी पर पति की प्रभुता होगी।

(5) कुलीन–विवाह (Hypergamy)– कुलीन विवाह–प्रथा भी स्त्रियों की निम्न स्थिति होने का मुख्य कारण है। इस प्रथा के अन्तर्गत लड़की का विवाह अपने बराबर या ऊँचे कुलों में ही करना होता है। जबकि लड़कों को अपने से नीचे कुलों में विवाह करने की छूट है। लड़कियों के जन्म से ही लोग सामान्यतः घवराने लगते हैं। यह भावना भी स्त्रियों की स्थिति को नीचे गिराती है।

(6) बाल–विवाह (Child Marriage)– स्त्रियों की स्थिति के गिरने का एक महत्वपूर्ण कारण हिन्दुओं में बाल–विवाह प्रथा का अत्यधिक प्रचलन था। कम उम्र में विवाह होने के कारण एक

और तो वे शिक्षा प्राप्त करने में असफल रहती थी, दूसरी ओर पति उन पर सरलता से अपनी प्रभुता जमा लेता था। इससे स्त्रियों की स्थिति स्वतः ही गिरती गई।

(7) संयुक्त परिवार प्रणाली (Joint Family System)– स्त्रियों की सामाजिक स्थिति संयुक्त परिवार प्रणाली के कारण भी निम्न रही है। इसका कारण यह है कि इस प्रणाली के अन्तर्गत स्त्रियों को कोई भी अधिकार नहीं मिला होता है। ये सभी बाते स्त्रियों की स्थिति को नीचा गिराने में सहायक होती हैं।

(8) अशिक्षा (Iliteracy)– अशिक्षा के कारण स्त्रियों में अपने अधिकारों के सम्बन्ध में कोई जागरूकता उत्पन्न नहीं हो पाई। बचपन से ही स्त्रियाँ पितृगृह में और पतिगृह में, पति को देवता समझने और पूजने के उपदेश सुनती आई हैं।

वर्तमान भारत में महिलाओं की प्रस्थिति में परिवर्तन
(Change in Status of Women in Present India)

आज भारतीय नारी अन्य देशों की नारियों से किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं हैं। वे देश के सभी सेवा–क्षेत्रों में संलग्न हैं। राजनीतिक क्षेत्र में भी वे पुरूष से कम नहीं हैं। यह सब विवेचन भविष्य के लिए स्वर्णिम संकेत है कि भारतीय नारी के भावी जीवन से धीरे–धीरे सभी दूषित एवं सामाजिक बुराइयाँ दूर हो जाएगी। वे अपना मानसिक विकास कर सकेंगी तथा पुरूषों से किसी क्षेत्र में पीछे नहीं रहेंगी। आर्थिक दृष्टि से भी वे किसी पर आश्रित नहीं रहेंगी। अब भारतीय नारी अबला न रहकर तबला बन गई है। हमारे देश में शिक्षा का काफी प्रसार हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि नारी को परिवार का न्यूनसदस्य नहीं समझना चाहिए। सभी वर्गों, समूहों व जातियों में नारी पर अत्याचार होते आए है यहाँ तक कि नब धनाढ्य वर्ग भी इससे अछूता नहीं रह गया है। कामकाजी महिलाओं पर तो दोहरी मार पड़ती है। उनकी समाज में स्थिति व सम्मान बढ़ा है पर घर की भूमिका में बदलाव से घर के काम भी उन्हें पूरे करने पड़ते हैं। इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ता है।

वर्तमान भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में परम्परागत के मुकाबले काफी सुधार या परिवर्तन हुए हैं, जैसाकि निम्नलिखित वर्णन से स्पष्ट है–

(1) सामाजिक प्रस्थिति में सुधार (Reformation in Social Status)– स्वतन्त्रता के बाद स्त्रियों की प्रस्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। उनमें सामाजिक चेतना की आज एक नई लहर देखने को मिलती है। वे रूढ़िवादी विचारों से दूर होती जा रही हैं और नए तार्किक आदर्शों और मूल्यों को भी अपना रहीं हैं। पर्दा–प्रथा प्रायः अब समाप्त हो गई है। समाज में भी अब उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता है। संयुक्त परिवार में उनकी प्रस्थिति परम्परागत प्रस्थिति से कहीं अधिक अच्छी है। संक्षेप में, कहा जाता है कि सामाजिक क्षेत्र में वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति पहले से कहीं अधिक अच्छी है।

(1) परिवार और विवाह के सम्बंध में उच्च प्रस्थिति (Higher Status in relation to Marriage and Family)– परिवार और विवाह के सम्बन्ध में आज भारतीय नारी की प्रस्थिति कहीं अधिक उच्च है। 1929 में 'बाल–विवाह अवरोध अधिनियम **(The Child Marriage Restraint Act, 1929)**द्वारा दहेज देना अपराध घोषित कर दिया गया है। इसी प्रकार 1955 के 'हिन्दू विवाह तथा विवाह–विच्छेद अधिनियम **(Hindi Marriage and Divorce Act, 1955)**और 1954 के 'विशेष विवाह अधिनियम' **(Special Marriage Act, 1954)**ने स्त्रियों को धार्मिक व अन्य सभी प्रकार के प्रतिबन्धों से दूर करने की आज्ञा दे दी है।

अब बहुपत्नी–विवाह गैर–कानूनी है। अन्तर्जातीय विवाह मान्य है और स्त्रियों को विवाह–विच्छेद का भी पूरा अधिकार है। इसी कारण विधवा–पुनर्विवाह भी आज कानूनी रूप से मान्य है। इन सभी कारणों से परिवारों के अन्तर्गत भी स्त्रियों की प्रस्थिति काफी सुधारी है। वह अब पति की दासी नहीं, वरन् मित्र है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवाह और परिवार के क्षेत्र में स्त्रियों की प्रस्थिति अपेक्षाकृत उच्च है।

(3) उच्च आर्थिक प्रस्थिति (Higher Economic Status)– आर्थिक दृष्टिकोण से आज स्त्रियों की प्रस्थिति उच्च है। वे अब केवल पति पर ही आश्रित नहीं हैं, वे आज स्वंय भी जीविकोपार्जन कर रही हैं। वर्तमान भारत में स्त्रियाँ प्राय प्रत्येक व्यवसाय में देखी जा सकती हैं। वे वकील हैं, प्रोफेसर हैं, जज हैं, डाक्टर हैं, पायलट हैं, प्रबन्धक हैं, स्टेनो, क्लर्क और फैक्ट्री आदि में कुशल व अकुशल कर्मचारी हैं। यहाँ तक कि अंतरिक्ष यान में यात्रा के तौर पर भी कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स अंतिरिक्ष यात्रा कर चुकी हैं।कामगार महिलाओं को समाज में आर्थिक समानता के अधिकार के लिए 'समान परिश्रमिक अधिनियम, 1976' अनुप्रयोग में लाया गया है। इसके अर्न्तगत पारिश्रमिक में किसी प्रकार का भेदभाव अपराध माना जाएगा। कामकाजी महिलाओं को प्रसुति की सुविधा देने के लिए 'प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961' पारित किया गया है जो कामकाजी महिलाओं को संथान द्वारा अवकाश तथा जरूरी चिकित्सा सुविधा अधिनियम के तहत मुहैया कराता है।

(4) शिक्षा के सम्बन्ध में सुधार (Reformation in relation to Education)स्त्रियों की शिक्षा के सम्बन्ध में भी वर्तमान समय में पर्याप्त सुधार हुए हैं। पहले बहुत ही कम स्त्रियाँ पढ़ी–लिखी होती थी, परन्तु आज स्त्रियाँ शिक्षा के क्षेत्र में निरन्तर आगे बढ़ रही हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार प्रत्येक 1000 स्त्रियाँ शिक्षित थी, परन्तु 1991 में यह संख्या बढ़कर 392 और 2011 में 646 हो गई है।

आज स्त्रियाँ वैज्ञानिक, सामाजिक, राजनीतिक, व्यावसायिक आदि सभी प्रकार की शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। सरकार भी स्त्री–शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रही है। स्त्रियों को निःशुल्क शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा देने की सुविधा, छात्रवृत्तियाँ आदि देकर शिक्षा के विषय में प्रोत्साहित किया जा रहा है। यही

कारण है कि आजकल लड़कों की तुलना में लड़कियाँ अधिकतर परीक्षाओं में बाजी मार रही हैं और अधिकतम अंक प्राप्त कर रही हैं। यहाँ तक कि आई. ए. एस. जैसी शीर्ष परीक्षा में भी लड़कियाँ प्रथम स्थान पा रही हैं।

(5) राजनीतिक क्षेत्र में समानता(Equality in Political Field)स्वतन्त्रता से पूर्व तक सभी स्त्रियों को वोट **(Vote)**देने तक का अधिकार नही था। परन्तु आज भारत की प्रत्येक नारी को जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, वोट देने तथा स्वयं लोकसभा, विधानसभा आदि के सदस्य के लिए उम्मीदवार होने का अधिकार है। अब तो पंचायत, नगर पालिका आदि चुनावों में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई है। इसका उद्देश्य सामाजिक न्याय लाना है। आज देश में स्त्रियों में पर्याप्त राजनीतिक चेतना आई है। आज स्त्रियाँ लोकसभा व राज्यसभा की सदस्य और मन्त्री भी हैं। श्रीमति इन्दिरा गांधी लगभग 18 वर्ष तक प्रधानमंत्री के पद पर आसीन रहीं। श्रीमति सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की जून, 2014 से स्पीकर महिला हैं। मानवाधिकार आयेाग की अध्यक्षा महिला हैं। कई प्रदेशों में महिला मुख्य मंत्री हैं यहाँ तक देश के शीर्ष पद यानि राष्ट्रपति की कुर्सी पर भी श्रीमति प्रतिभा पाटिल विराजमान रह चुकी हैं। राजनीति में भागीदारी का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है।

उपर्युक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के पश्चात् भारतीय स्त्रियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। परन्तु इस सम्बन्ध में यह स्मरणीय है कि भारतीय गाँवों और नगरों के अनेक रूढ़िवादी परिवारों में स्त्रियों की स्थिति अब भी अधिक अच्छी नहीं है। वे अब भी पर्दा–प्रथा को उचित समझते हैं और शिक्षा को स्त्रियों को बिगाड़ने वाली चीज कहते हैं। विवाह के सम्बन्ध में रूढ़िवादी परिवारों के मुखिया अब भी लड़की की इच्छा या पसन्द को जानने की आवश्यकता नहीं समझते और लड़की, विशेषकर वधू का घर से बाहर जाकर नौकरी करना अपनी शान के खिलाफ मानते हैं तथा उनके सामाजिक मेल–मिलाप आदि पर अनेक प्रतिबन्ध लगाते हैं।

महिलाओं की प्रस्थिति में समकालीन परिवर्तन के कारण

(Causes of Contempory Changes in the Status of Indian Women)–

वर्तमान भारत में स्त्रियों की स्थिति में जो सुधार या परिवर्तन हुए है, उनके कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं–

(1) स्त्रियों में शिक्षा का विस्तार (Spread of Education among Women) – अंग्रेजी राज्य की स्थापना के पश्चात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने भी इस सम्बन्ध में अनेक प्रयत्न किये। शिक्षा के विस्तार के साथ–साथ स्त्रियों में परम्परागत अन्धविश्वास तथा संकीर्ण मनोभाव दूर होते गए और वे अपने अधिकारों के सम्बन्धमें जागरूक हुई।

(2) पाश्चात्य संस्कृति (Western Culture)– पाश्चात्य संस्कृति से हमारा सम्बन्ध बढ़ने के साथ–साथ भारतीय स्त्रियों में एक नई जागृति की लहर आई है, इस बात को शायद कोई भी अस्वीकार नहीं करेगा। पाश्चात्य देशों में स्त्री व पुरूषों को समान अधिकार प्राप्त हैं और वहां स्त्रियाँ पुरूषों के कन्धे–से–कन्धा मिलाकर अपने अधिकारों का उपभोग करती हैं। यह सब देखकर यहाँ की स्त्रियाँ भी अपने अधिकारों के सम्बन्ध में जागरूक हुई हैं। इतना ही नही, पाश्चात्य संस्कृति के माध्यम से भारतीय नारी का सम्पर्क अन्य प्रगतिशील देशों की नारी समाजों, उनमें हुए नारी आंदोलन आदि के साथ सहज ही स्थापित हो सका। इससे जो जागरूकता इस देश की स्त्रियों में उत्पन्न हुई, उसकी भी कीमत कुछ कम नही।

(3) औद्योगीकरण (Industrialization)–औद्योगीकरण के साथ–साथ भारत में अनेक उद्योग–धन्धे पनप गए जिसके कारण न केवल पुरूषों के लिए बल्कि स्त्रायों के लिए भी नौकरी के पर्याप्त अवसर बढ़ गए। इसके फलस्वरूप स्त्रियाँ भी पुरूषों की भाँति घर से बाहर जाकर नौकरी करने लगीं, वहाँ उनकों पुरूषों के साथ भी काम करना पड़ा इससे उनकी पुरूषों पर आर्थिक निर्भरता घटी, अन्तर्जातीय और प्रेम–विवाहों को प्रोत्साहन मिला, पर्दा–प्रथा घटी, साथ ही पुरूषों का स्त्रियों के प्रति मनोभाव भी पर्याप्त रूप से बदला।

(4) प्रेस और यातायात व संचार साधनों में उन्नति (Development of Press and means of Transport and Communication)– वर्तमान समय में प्रेस ने काफी उन्नति की है जिसके कारण कई प्रकार की प्रगतिशील पुस्तकों, पत्रिकाओं, समाचार–पत्रों रेडियो और टेलीविजन आदि का अखिल भारतीय आधार पर मुद्रण, प्रसारण तथा वितरण सम्भव हुआ है। यह विरतण यातायात और संचार साधनों में उन्नति होने के कारण **ही सम्भव हुआ है। इसके अतिरिक्त यातायात और संचार के उन्नत साधनों ने देश और दुनिया की स्त्रियों को एक–दूसरे से घनिश्ठ सम्बन्ध स्थापित करने में भी सहायता प्रदानकी है।** इस सबके द्वारा, अर्थात् प्रेस, टेलीविजन, यातायात व संचार के साधनों के द्वारा नारी–आंदोलन को चलाने, नारी–समस्या के प्रति स्वस्थ जनतम निर्माण करने, नारी–नेताओं के विचार दूर–दूर तक फैलाने में जो सहायता मिली है वह भारतीय नारी की वर्तमान उन्नत स्थिति का एक महत्वपूर्ण कारक है।

(5) अन्तर्जातीय विवाह (Intercaste Marriage)–आधुनिक समय में सहशिक्षा और साथ ही स्त्री–पुरूष को एक साथ नौकरी करने की सुविधा आदि ऐसे कारण हैं जिनके फलस्वरूप प्रेम–विवाह का विस्तार भारत में उत्तरोत्तर होता जा रहा है। इन प्रेम–विवाहों में सामान्यतः जाति–पाँति का कोई बन्धान नहीं होता। इस प्रकार इन अन्तर्जाजीय विवाहों से स्त्रियों का एक ओर समाज से सम्पर्क बढ़ता है तो दूसरी ओर वर–मूल्य–प्रथा भी घट जाती है। इससे लड़कियों को परिवार पर बोझ समझने जाने की भावना का अन्त होता है और परिवारों में स्त्रियों की स्थिति सुधरती है। वैसे भी

अन्तर्जातीय विवाह के फलस्वरूप पति–पत्नी में सहयोग और समानता की भावनाएँ पनपती हैं और पुरूष स्त्री को 'दासी' न समझकर 'साथी' समझने लगता है।

(6) वर–मूल्य प्रथा (Bridegroom Price System)–अत्यधिक वर–मूल्य प्रथा का प्रचलन भी अप्रत्यक्ष रूप से स्त्रियों की स्थिति को सुधारने में सहायक ही हुआ है। मध्यम वर्ग के माता–पिता के सामने वर–मूल्य–प्रथा की वृद्धि ने एक विकट समस्या उत्पन्न कर दी है। इससे एक तो विलम्ब–विवाह हो रहे हैं, दूसरे जब तक लड़की का विवाह नहीं हो जाता, तब तक माता–पिता लड़की को घर पर खाली बैठाने की अपेक्षा स्कूल या कॉलिज में शिक्षा प्राप्त करने भेजना उचित समझते हैं। इससे पढ़ी–लिखी लड़कियाँ अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं नौकरी कर लेती हैं। ये सभी बातें उनकी स्थिति में सुधारक सिद्ध होती हैं।

(7) संयुक्त परिवार का विघटन (Disintegration of Joint Family)–संयुक्त परिवार सामाजिक परम्पराओं का एक अखाड़ा है जहाँ पर कि कई प्रकार के अन्धविश्वास और धार्मिक विश्वासों में जकड़े बड़े–बूढ़ों का जमघट होता है जो किसी भी मूल्य पर पुराने तरीकों और विचारों को त्यागना नहीं चाहते हैं। इन बड़े–बूढ़ों के विरोध कारण भी स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार सम्भव नहीं होता है, साथ ही, बाल–विवाह भी एक रूकावट थी। परन्तु अब संयुक्त परिवार के धीरे–धीरे टूटने से या बाधा समाप्त हो रही है।

(8) सुधार आन्दोलन व राष्ट्रीय आन्दोलन (Reform and National Movements)– समय–समय पर हुए सुधार व राष्ट्रीय आन्दोलनों ने भी स्त्रियों की भी प्रस्थिति को सुधारने में प्रयाप्त योगदान दिया। प्रारम्भ में राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, महर्षि कार्वे, स्वामी विवेकानन्द, स्वामी दयानन्द सरस्वती, डॉ. ऐनी बीसेण्ट अदि द्वारा चलाय गए आन्दोलन स्त्रियों की स्थिति में सुधार महत्वपूर्ण कदम थे। इसके अतिरिक्त गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आन्दोलन में स्त्रियों ने कन्धे से कन्धा मिलाकर भाग लिया।

महिला उत्थान के सरकारी प्रयास (Govt.'s Efforts for the Women Upliftment)

(1) विधायी उपाय– सरकार ने अनेक विधायी उपायों (Legislative measures)द्वारा भी नारी की प्रस्थिति में सुधार करने तथा उन्हें पुरूषों के समान अधिकार दिलवाने का प्रयास किया है। ऐसे कुछ विधायी उपाय निम्नलिखित हैं–

(i) हिन्दू विवाह अधिनियम 1955,

(ii) समान परिश्रमिक अधिनियम 1976,

(iii) कारखाना (संशोधन) अधिनियम 1976,

(iv) बाल–विवाह अवरोध (संशोधन) अधिनियम। 1978,

(v) अनैतिक व्यापार (निवारण) कानून, 1986,

(vi) दहेज निषेध (संशोधन) कानून, 1986, तथा

(vii) महिला का अभद्र चित्रण (निषेध) अधिनियम, 1986,

(viii) कमीशन आफ सती (निरोधक) अधिनियम, 1987।

70 के दशक में नारी के विकासशील मुद्धों का केन्द्र कल्याण पर आधारित था जो 80 के दशक में 'विकास' पर आधारित हुआ फिर 90 के दशक में सशक्तिकरण पर आधारित हुआ। 21 वीं शताब्दी में नारी उत्थान के मुद्धों में सर्वाधिक बहस महिला आरक्षण विधेयक को लेकर हुई है। इसके अन्तर्गत नारी कों विधानसभ, लोकसभा, ग्राम पंचायत इत्यादि राजनीतिक संस्थाओं में 33% प्रतिनिधित्व देने का प्रस्ताव है।

(2) रोजगार तथा आय उत्पन्न करने वाली उत्पादन ईकाइयाँ– यह योजना वर्ष 1982–83 में नार्वे की अन्तर्राष्ट्रीय विकास संस्था के सहयोग से प्रारम्भ की गई इस कार्यक्रम से गरीब ग्रामीण नारियों, अनुसूचित जाति व जनजाति जैसे कमजोर वर्गो की नारियों, युद्ध में मारे गए सैनिकों तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में लगे संगठनों के मृत कर्मचारियों की विधवाओं को लाभ मिल रहा है। नारी प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम में सहायता में नारियों के काम करने वाले क्षेत्रों, जैसे कृषि, दुग्ध उत्पादन, पशुपालन, मछली पालन, खादी व ग्रामोद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प और रेशम विकास आदि में नारी को रोजगार देने के लिए लागू की गई।

(3) नारियों के लि सामाजिक आर्थिक कार्यक्रम– केन्द्रीय समाज कल्याण वोट द्वारा 1958 से प्रारम्भ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत जरूरतमन्द व शरीरिक रूप से अक्षम नारियों को काम और मजदूरी के अवसर उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय संस्था दी जाती है। निम्न आय वाली कार्यरत नारियों के लिए शहरों व महानगरों में सस्ते एवं सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना।

(4) नारी शिक्षा– सामाजिक आर्थिक गति को तेज करने में लड़कियों और नारियों की शिक्षा के महत्व को स्वीकार करते हुए सरकार ने समय–समय पर इस दिशा में अनेक कदम उठाय हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यवस्था है कि शिक्षा को नारियों के स्तर में बुनियादी परिवर्तन लाने के साधन के रूप में प्रयोग लाया जायगा।

(5) प्रौढ़–नारियों के लिए शिक्षा के साधन पाठ्यक्रम– केन्द्रीय समाज कल्याण वोट द्वारा 1958 में शिक्षा के सघन पाठ्यक्रम प्रारम्भ किए गए जिनका उद्येश्य जरूरतमन्द नारियों को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराना तथा प्राथमिक पाठशाला के शिक्षकों बाल सेविकाओं, नर्सों, स्वास्थ परिचारिकाओं, दाइयों और विशेषतः ग्रामीण इलाको में परिवार नियोजना कार्यकर्त्ताओं का एक सक्षम और प्रशिक्षित वर्ग तैयार करना था।

(6) स्वास्थ व बाल कल्याण सेवाएँ– केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2002 के मंजूरी देकर पूरे देश में एक समान चिकित्सा सेवाएँ उपलब्ध करने का अपना संकल्प दोहराया सरकार द्वारा 2010 तक सकल घरेलू उत्पादन का 6% स्वास्थ्य क्षेत्र पर व्यय किया जाएगा और राज्य सरकार को भी निर्देश दिया गया है कि महिला व बाल कल्याण सेवाएँ के संचालन में कोई ढील नहीं बरमें। प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए समुचित कोष उपलब्ध हों और इन सेवाओं पर संरचनात्मक सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएगी।

(7) नारियों पर होने वाले अत्याचार को रोकने के लिए भौक्षिक कार्य– नारियों पर होने पर अत्याचारों को रोकने के लिए शैक्षिक कार्य की एक योजना शत–प्रतिशत आर्थित सहायता देकर स्वैच्छिक संगठनो के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्त्ताओं और सरकारी अधिकारियों सहित दूसरे लोगों के लिए प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन, कानूनी शिक्षा प्रशिक्षण शिविर, नारियों के लिए परा–कानूनी प्रक्षिण/लोक अदालतों कानूनी शिक्षा की पुस्तिकाएँ, मार्गदर्शिकाएँ, आरम्भिक किताबें आदि बनाना तथा परम्परागत माध्यमों द्वारा नारियों पर हो रहे अत्याचारों के बारे में लोगों को जानकारी आदि कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

कई स्वैच्छिक संगठन बाल–विवाह दहेज प्रथा और लड़कियों की पढ़ाई छुड़ाने जैसी कृरीतियों के उन्मूलन के लिए जनमत तैयार करने तथा जन सहयोग प्राप्त करने के कार्य में सक्रिय रूप से जुरें हुए हैं।

भारतीय नारियों की कुछ उपलब्धियाँ (Some Achievements of Indian Women)

आज विश्व भर में महिलाएँ हर क्षेत्र में अपनी बुलन्दियों पर है भारत भी किसी मायने में नारियों की उपलब्धियों से अछूता नहीं है। यहाँ कुछ प्रमुख भारतीय नारियों की उपलब्धियों का उल्लेख किया जा रहा है–

- आन्ध्र प्रदेश में बहुचर्चित अरक विरोधी महिला आन्दोलन कमे परिणामस्वरूप राज्य सरकार को पूरे राज्य में पूर्ण नशाबन्दी लागू करनी पड़ी।
- 73 वीं संविधान संशोधन के बाद पंचायतों के चुनावों में मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार अनुसूचित/जनजपति वर्ग की 48,993 महिलाएँ जीतकर आई।
- भारतीय मूल्य की डॉ. कल्पना चावला नासा के अंतरिक्ष यात्री दल के लिए चुने गए सिविलियन मिशन विशेषज्ञों के दल (2003) में शामिल की गई हैं। (दुर्भाग्यवश अंतरिक्ष यात्रा के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी।)
- शास्त्रीय गायिका पद्मावती गोखले को कालिदास सम्मान प्रदान किया गया।
- धाविका रोसा कुट्टी, एवं भारोत्तोलिका मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार मिला।

- भाग्य श्री थिप्से ने एशियन जोनल शतरंज चैंपियनशिप में इन्टरनेशनल वुमेन मास्टर का खिताब जीता।
- डिजाइन के क्षेत्र में रितु बेरी ने पेरिस में अपने परिधानों से धूम मचा रखी है।
- 'बायोटिक' की विनीता जैन और 'शहनाज हर्बल्स' की शहनाज हुसैन ऐसी उद्यमी हैं जिनके उत्पाद आज विश्वभर में प्रसिद्ध हैं।
- विश्व सुन्दरी का खिताब अर्जित करने वाली सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, प्रीयंका चोपड़ा, लारा दत्ता आदि भारतीय नारी दही तो हैं।
- संगीत, नृत्य और अभिनय के क्षेत्र में लता मंगेशकर, शिल्पा शेट्टी, मल्लिका सहरावत आदि विश्वभर में प्रसिद्ध हैं।
- सक्रिय राजनीति में सोनिया गाँधी, उमा भारती, माया वती, शीला दीक्षित, वसुन्धरा राजे आदि अनेक नाम महिलाएँ हैं।
- नैना ताल किदवई, ललिता गुप्ते, लीला पूनावाला व दीना मेहता ने उद्योग और व्यापार जगत मे अपने कुशल प्रशासन से सर्वोच्च सम्मान प्राप्त किए हैं।
- लेखन व पत्रकारिता में अरून्धति राय, मृणाल पाण्डे व बरखा दत्त ने लोकप्रियता हासिल की है।
- प्रथम महिला आई. पी. एस अधिकारी किरण बेदी ने जेल सुधार कार्यों के लिए प्रसिद्ध रोमन 'मैग्सेसे' पुस्कार प्राप्त किया है।इसके अलावा भी अनेक ऐसी भारतीय महिलाएँ हैं जिन्होंने किसी–न–किसी क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं।